न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—379/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/379)

1. श्री किशन सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति राजपूत , उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम देवरिया, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री शैतान सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष
2. श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष

दोनों जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम सरवर, तहसील अराई, जिला अजमेर।

असल रेस्पोडेंट

3. श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बोराडा, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
4. श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अरवड, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

प्रोफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरांई विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.11.2022 राजस्व वाद संख्या 119/2022

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शशीकांत जोशी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,2
3. रेस्पोडेंट संख्या 03, 04 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—20.02.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अरांई द्वारा प्रकरण संख्या 119/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 द्वारा एक राजस्व वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 119/2022 अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी अराई के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम सरवर तहसील अराई जिला अजमेर अवस्थित वर्तमान खसरा नम्बर 70 रकबा 07.6127 है0

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अन्य भूमियों के साथ प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पैतृक खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है जिस पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से ऋण प्राप्त कर रखा है तथा सरसों की फसल खडी है जिसे भू माफिया वर्ग के व्यक्तियों के साथ जीप जेसीबी एवं ट्रेक्टर से फसल को नष्ट कर मिट्टी निकालने का प्रयास किया गया। इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी अराई द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को बिना संपूर्ण तथ्यों की जांच किए असत्य कथनों एवं दस्तावेजों के विपरीत जाकर एकपक्षीय रूप से सुनते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 9.11.2022 गैरकानूनी रूप से पारित कर दी। अतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अरांई द्वारा प्रकरण संख्या 119/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है

3. सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी अरांई प्रकरण सख्या 119/2022 शैतानसिंह बनाम अन्य एवं किशनसिंह, दिनांक 9..11.2022 का है। अपीलांट द्वारा दिनांक 22.11.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद है।

4. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.11.2022 को ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय हाजा द्वारा उपखण्ड अधिकारी अराई द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.11.2022 की पालना प्रभाव एंव कियान्विति को दिनांक 22.12.2022 तक स्थगित रखे जाने का आदेश दिया गया।

5. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि रेस्पोडेंट द्वारा तथ्य छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में 188 आरटी एक्ट के तहत दावा पेश किया गया था। खसरा नम्बर 70 किस्म बंजड द्वितीय होकर ग्राम सरवर तहसील सरवाड में स्थित है। खनन संबंधित विवादित बिंदु है। भूमि कृषि योग्य नहीं है। मूल खातेदार भंवरसिंह की जानकारी में था माईनिंग का कार्य हो रहा था। खाते पर लोन लिया गया था । माईनिंग होने से कुछ खसरा नम्बरों पर रहन दर्ज नहीं किया गया। कृषक के अधिकार भूमि में मात्र तीन फीट तक होते है। विभाग में खनन हेतु उपयुक्त मानने पर लीज दी है। विवादित भूमि बंजड है। 4.99 है0 भूमि बाबत आवेदन हमारे द्वारा किया गया था 2006 से नियमित खनन हो रहा है। खनन पट्टा अवधि को बढाया गया है। दावा और टीआई 2022 में दर्ज कराया गया है। जबकि खनन कार्य 2006 से ही हो रहा है। वाद दायर के दिन भूमि कृषि भूमि नहीं थी ना ही उनका कब्जा है। माईनिंग विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। लीज अभी भी है लीज का विषय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को सुनने का कोई अधिकार नहीं था। लीज कम्पनी के नाम पर है। कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया जानकारी के बाद भी पक्षकार नहीं बनाया।

6. बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में हम वादी के रूप में है विवादित खसरा नम्बर 70 ग्राम सरवर है जिसका कुल रकबा 7.6127 है0 है रेस्पोडेंट किशनसिंह द्वारा कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है हम खातेदार कृषक हैं। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय अराई में हमारे द्वारा 188 आरटी एक्ट के तहत दावा किया गया था। यह खनन कार्य करवाना चाहते हैं हमारी कोई लीज नहीं है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ना ही कोई सहमति है। दिनांक 9.11.2022 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा हमारे पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और सीधे ही आरएए न्यायालय में इनके द्वारा अपील की गई है। जबकि 212 की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में पेण्डिंग है। अपीलेट कोर्ट यह देखे की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सही है अथवा नहीं। इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी लागू नहीं है। इन्होंने लीज अपने पक्ष में करवाई है। हमारे पिता भंवरसिंह द्वारा कोई सहमति खनन विभाग में नहीं दी गई जो खातेदार थे। सहमति नहीं होने से खनिज विभाग द्वारा दिनांक 4.1.2023 को नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 2.1.2023 को शपथ पत्र की कॉपी खनन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। अभी तक शपथ पत्र के बिंदु 10 की पालना नहीं हुई है। खनन बंद है, भूमि अभी भी कृषि भूमि है। यह अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश करे। खसरा नम्बर 70 पर मूंग जवार हमने बोई है। धारा 63 में हमारे खातेदारी अधिकार अभी समाप्त नहीं हुए है। भंवर सिंह की मृत्यु दिनांक 29.12.2016 को हुई है। भंवरसिंह ने कभी सहमति नहीं दी। बलंडर मिस्टेक पर अपील हो सकती थी जैसा कि जगदीश बनाम भोपालाराम में बताया गया चालान पर खसरा नम्बर दर्ज नहीं है।

7. रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश अपील के योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण इनके पक्ष में नहीं है इनका कब्जा नहीं है। राशि जमा कर खनन कर रहा हूं। लीज निरस्त होने तक मैं खनन कार्य करने हेतु अधिकृत हूं। चालान से राशि जमा हो रही है ये लीज निरस्त करवाए। अंत में वकील रेस्पोडेंट ने कहा की अंतरिम आदेश की अपील नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय में 212 के प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण के निर्देश दिए जाए तब तक यथास्थिति बनाए रखे।

8. वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। उक्त लिखित बहस में वकील रेस्पोडेंट द्वारा निम्न विधिक आधार बताए है–1. विवादित भूमि के वे रिकार्डेड खातेदार कृषक है जमाबंदी 2071–2074 खाता संख्या 58 ग्राम सरवर साथ ही उन्होंने गिरदावरी संवत 2079 का हवाला देते हुए बताया कि विवादित खसरा नम्बर पर कोई खनन कार्य नहीं होता है। 2. अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 70 के रकबे पर खनन पट्टा जारी करवाने से पूर्व न तो खसरा संख्या 70 के लिखित खातेदार की सहमति ली है। ना ही खसरा सख्या 70 के खातेदार द्वारा खनन पट्टा जारी करवाया गया है। 3. अधीनस्थ न्यायालय में 212 का प्रार्थना पत्र भी लंबित है अतः अपीलांट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जावे। 4. जमाबंदी की प्रविष्टियां खसरा संख्या 70 के बाबत कैसे विवादित हैं। इसे प्रमाणित करने में अपीलांट असमर्थ रहा है अतः अपील निरस्त किए जाने योग्य है। 5. अपीलांट के पास परीक्षण न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने हेतु विकल्प मौजूद है। उसे धारा 212 का जवाब प्रस्तुत करना चाहिए था। 6. मूल वाद लंबित होने से विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति स्थगन आदेश से सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित है। 7. खातेदार को सुने बिना उसकी सहमति के बगैर जारी किया गया खनन पट्टा कोई औचित्य नहीं रखता। विवादित भूमि कृषि भूमि होने से क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अंत में अपील को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

9. बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रकार है– हमारे द्वारा वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम सरवर भू0अभिलेख निरीक्षक ढसूक पटवार हल्का गुजरवाडा तहसील अराई स्थित खसरा नम्बर 70 रकबा 7.6127 है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजात के मननोपरांत एवं प्राथीगग द्वारा अप्रार्थीगण को सामान्य प्रकिया के साथ–साथ जरिए रजिस्टर्ड एडी से नोटिस तामील कराए जाने की शर्त पर न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण द्वारा मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे ताकि वाद बाहुलता न बढे।

10. जमाबंदी संवत 2071–2074 ग्राम सरवर खाता संख्या 58 नया वर्तमान में रेस्पोडेंट 1 व 2 के नाम 1/2–1/2 हिस्से से खाता दर्ज है जिसमें कुल 7 खसरा नम्बर शामिल है। खसरा नम्बर 19, 23, 24, 26, 393/20, 406/84 एवं 70 कुल रकबा 20.7104 है0 है। खसरा नम्बर 393/20, 406/84 तथा 70 बिना रहन के है अन्य खसरा नम्बर एसबीबीजे शाखा ढसूक में रहन दर्ज है।

11. पत्रावली पर उपलब्ध ज्ञापन पत्र कार्यालय खनिज अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग अजमेर दिनांक 11.7.2006 खनन पट्टे की संविदा का पंजीयन दिनांक 31.5.2006 को कराया गया। जिसमें पार्टी का नाम अम्बे मिनीकेम दर्ज है खनिज फैल्सपार व क्वार्टज अंकित है। क्षेत्र के विवरण में 4.9999 है0 निकट ग्राम सरवर अंकित है। अवधि दिनांक 31.5.2006 से 30.5.2036 बताया गया है। दिनांक 27.2.2015 से खनन पट्टे की अवधि को एमएमडीआर संशोधन अध्याधेश 2015 की धारा एफए(6) के अनुसार अवधि दिनांक 30.5.2056 तक स्वतः बढ गई है, यह अंकित किया हुआ है।

12. रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर अपने विधिक आधार संख्या 2 में स्वयं यह माना है कि खनन पट्टा संख्या 142/2005 जारी हो रखा है। मगर इस पर खातेदार की सहमति नहीं ली है ना ही उक्त विवादित खसरा के खातेदार द्वारा खनन पट्टा जारी करवाया गया है। स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 70 ग्राम सरवर के कुल रकबा में से 4.9999 है0 भूमि पर खनन लीज स्वीकृत हो रखी है जिसकी लीज अवधि दिनांक 30.5.2056 तक है। पक्षकारों के मध्य यह विवाद है कि क्या खातेदार द्वारा लीज बाबत अपनी सहमति दी गई अथवा नहीं।

13. अधिशुल्क निर्धारण ब्यौरा एमएल 142/2005 निकट ग्राम सरवर वास्ते खनिज फैलस्पार क्वार्टज पट्टेधारी अम्बे मिनीकेम आरम्भ करने की तिथि दिनांक 31.5.2006 से 2006–2007 में फैलस्पार 500 टन उत्खनन किया गया। जिस पर 8940 रूपए अधिशुल्क बना 2007–2008 में कोई उत्पादन नहीं किया गया यह प्रतीत होता है। 2009–2010 में एक हजार टन का उत्खनन किया गया जिस पर 20760 रूपए अधिशुल्क बना। 2010–2011 में फेल्सपार का 2000टन उत्खनन किया गया जिस पर अधिशुल्क 84000 रूपए बना। 2011–2015 के बीच कोई उत्खनन नहीं किया गया यह प्रतीत होता है। उक्त अधिशुल्क राशि विवरण बाबत पत्र कार्यालय खनिज अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग अजमेर द्वारा दिनांक 22.5.2015 को प्रोविजनली जारी किया गया है।

14. उपरोक्त ब्यौरे से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 70 से संबंधित एमएल 142/2005 से फेलस्पार का उत्पादन किया जाता रहा है। विवादित भूमि कृषि भूमि के रूप में काम में नहीं ली जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिनांक 4.1.2023 कार्यालय खनिज अभियंता कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग अजमेर द्वारा अम्बे मिनीकेम निवासी 20 बी कांती नगर बनीपार्क जयपुर को खनन पट्टा संख्या 142/2005 बाबत स्पष्टीकरण चाहा गया है जिसमें खातेदार से सहमति प्राप्त नहीं करने की बात अंकित की गई है।

15. अधीनस्थ न्यायालय वाद में रेस्पोडेंट द्वारा अम्बे मिनीकेम को पक्षकार नहीं बनाया गया। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र में 119/2022 में अंतर्गत 212 आरटी एक्ट तथ्यों को छिपाया गया हैं, तथा उक्त विवादित भूमि बाबत लीज पर कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा नहीं बताया गया।

16. मृत्यु प्रमाणपत्र भंवर सिंह पिता दयालसिंह रजिस्ट्रेशन दिनांक 20.1.2017 के अनुसार भंवरसिंह की मृत्यु दिनांक 29.12.2016 को होना पाया जाता है। उक्त दिनांक तक खातेदार भंवरसिंह द्वारा लीज बाबत कोई चाराजोही नहीं की है।

17. हालांकि जमाबंदी के अनुसार खातेदार रेस्पोडेंट 1 व 2 हैं मगर विवादित खसरा नम्बर 70 पर खनन कार्य हेतु लिज 142/2005 दिनांक 31.5.2006 से लीज फेलस्पार उत्पादन किया जा रहा है। इससे यह पता लगता है कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट के कब्जे में नहीं होकर फर्म मैसर्स अम्बे मिनीकेम के कब्जे में है और उनके द्वारा माईनिंग की जा रही है। रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। खातेदार द्वारा लीज बाबत सहमति दी अथवा नहीं दी यह विषय माईनिंग विभाग से संबंधित है जहां रेस्पोडेंट चाराजोही करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है उक्त आदेश धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलेबल है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.11.2022 में दिए गए आदेश में न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

18. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है, जिसका अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है, अतः आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई को प्रेषित किया जाना उचित समझते है तथा न्यायालय हाजा में उपस्थित पक्षकार को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

19. न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.11.2022 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई को प्रेषित कि जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम वह यह तय करें कि क्या विवादित भूमि जिस पर माईनिंग कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित विवाद को सुनने हेतु उन्हें श्रवणाधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। फर्म मैसर्स अम्बे मिनीकेम को भी प्रकरण में पक्षकार नियमानुसार बनाया जाकर, प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष से जवाब प्राप्त कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में करें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.3.2024 को उपस्थित होने हेतु पावंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

20. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर